3.12.17

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक डोमन बैठा, पे0–स्व0 मुंशी बैठा, सा0–दिग्घी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा ने मौजा नं0–441, जमाबंदी नं0–92, दाग नं0–750, रकवा 00–03–06 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा नं0–441, जमाबंदी नं0–92, कुल रकवा 18–09–03 धूर भूमि गत सर्वे के पर्चा में मुंशी बैठा व जकुरी बैठा, पे0–गौसी बैठा वो मो0 चुनिया दोखतर बक्स बैठा कोम धोबी साकिनदेह कहकर दर्ज है। पर्चा के कैफियत में सभी जमाबंदी रैयत का अलग–अलग दखल अंकित है, जिसके आधार पर वे लोग उक्त भूमि का जोत–आबाद कर रहे थे। आवेदक जमाबंदी रैयत मुंशी बैठा के पुत्र हैं तथा वे अपने पैतृक सम्पत्ति के दखलकार हैं। आवेदक के पिता मुंशी बैठा व उनके भाई जहोरी बैठा के बीच जमीन का बटवारा हो चुका है। बटवारे के अनुसार विवादित भूमि, जिसका रकवा– 06 कट्ठा 11 धूर है, उसे डोमन बैठा वो जलादी बैठा को प्राप्त है, जिसमें से आवेदक को 03 कट्ठा 06 धूर भूमि प्राप्त है। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि को दखल करने हेतु कई कागजात बनाये गये हैं तथा वर्त्तमान में मनरेगा योजना के तहत् एक डोभा बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसे रोकने पर उनके द्वारा मारपीट की धमकी दी गई और बताया गया कि चूंकि सरकारी कागज में उसके नाम से योजना चालू हो गया है। अतः यह भूमि उन्हें आवंटित हो गई है। इस प्रकार वे उस भूमि को दखल करना चाहते हैं। विपक्षी का उक्त जमीन से किसी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं है तथा वह दूसरे जाति के हैं तथा पूर्णतः बाहरी व्यक्ति है, तथापि कुछ कागजात को दिखाकर उक्त भूमि पर दखल करना चाहते हैं।यद्यपि विपक्षी द्वारा Santhal Pargana Settlement Regulation, 1872 के तहत् Adverse Possession होने का तथ्य रखा है, तथापि WPC No.-1401 of 2007 Chakram Mahto and others Vrs. The State of Jharkhand JLRJ 2009 (4) के न्यायनिदेशन की कंडिका–9 के अनुसार ..... But transfer in disguised from

and collusive manner continue which will be clear from the notice of the Mac Person to the settlement report of the Santhal Pargana wherein he warns any disguised transfer. His note was accepted by the government and the result was the amendment of the Regulation by which initially section 27 was inducted followed by section 20(1) of the Santhal Pargana Act. 1949. Thus, it will be evident that even the collusive compromise in a title suit to get an illegal transfer regularized by Court of law was in contravention to section 20 of the Santhal Pargana Tenancy (Supplementary Provisions) Act. 1949. अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा भी रा0वि0 वाद सं0–18/2016 में उक्त भूमि को अवैध दखल में माना गया।

अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद चलने योग्य नहीं है तथा विपक्षी के विरूद्ध उच्छेद का मामला बनता ही नहीं है। विवादित भूमि दाग नं0–750, जमाबंदी नं0–92, मौजा–दिग्घी नं0–441 आवेदक के पूर्वजों की भूमि है तथा आवेदक एवं विपक्षी के पूर्वजों के बीच मधुर संबंध था एवं वर्ष 1934 में ही उक्त भूमि में से 03 कट्ठा 05 धूर, 10 धूरकी भूमि विपक्षी के पूर्वजों को दी गई थी, जिसपर विपक्षी ने कच्चा घर बनाया था, जो वर्ष 1955 में अतिवृष्टि के कारण ध्वस्त हो गया। इस संबंध में कई बार उभय पक्षों के बीच विवाद हुआ है तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायती भी की गई है। उक्त भूमि पर विपक्षी के द्वारा एक छोटा–सा पोखरी मत्स्य परिपालन के लिए खोदा गया है, जो वर्त्तमान में अवस्थित है। कालान्तर में उक्त पोखरी में लोग अपशिष्ट डालने लगे, जिससे उसकी गहराई कम हो गई एवं झारखंड सरकार के मनरेगा योजना के तहत् डोभा की स्वीकृति प्राप्त कर डोभा का निर्माण कराया गया। उक्त भूमि पर आवेदक का पूर्ण रूप से कब्जा होने के कारण उन्हें Adverse possession प्राप्त हो चुका है। अतः उक्त वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि विगत सर्वे खतियान में मुंशी बैठा व जकुरी बैठा, पे0–गौसी बैठा वो मो0 चुनिया दोख्तर बक्स बैठा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा रा0वि0 वाद सं0–18/2016 की सुनवाई के क्रम में दिनांक– 13.11.2017 को आदेश पारित किया गया है। उक्त सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा यह बताया गया था कि उनके पूर्वज द्वारा उक्त जमीन बंधक रखा गया था, जबकि विपक्षी का कहना था कि वे विगत 40–45 वर्ष पूर्व उक्त भूमि का क्रय किये हैं। अंचल अधिकारी के द्वारा अपने उक्त आदेश में इसे अवैध दखल का मामला माना गया है। अंचल अधिकारी, महागामा के आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा उक्त तिथि तक किसी प्रकार का कुर्फानामा आदि कागजात दाखिल नहीं किया गया था, जबकि वर्त्तमान वाद की सुनवाई के क्रम में एक कुर्फानामा दाखिल किया गया है तथा विपक्षी यह साबित करने में असमर्थ रहे कि उक्त भूमि पर उनका दखल संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से था। विवादित भूमि रैयती खाते की भूमि है तथा विगत सर्वे के Records of rights के अनुसार उक्त भूमि की प्रकृति अहस्तांतरणीय है। प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आवेदक की रैयती भूमि पर अवैध दखल किया गया है, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा नं0–441, जमाबंदी नं0–92, दाग नं0–750, रकवा 00–03–06 धूर भूमि से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर आवेदक को दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।